सरकार	आवेदन शुल्क	सूचना प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त शुल्क					रिकार्ड निरीक्षण	भुगतान
केन्द्र सरकार	रू 10/–	ए–4 या ए–3 के कागज़ के लिए रु 2/– प्रति पेज	बड़े आकार के कागज़ के लिए वास्तविक मूल्य	मुद्रित रिपोर्ट के लिए नियत मूल्य या रु 2/– प्रति पेज	फ्लॉपी या सी.डी. के लिए रु 50/–	सैम्पल या मॉडल के लिए वास्तविक मूल्य	पहला घंटा – निःशुल्क तत्पश्चात् हर घंटेके लिए रू 5/–	नगद, बैंक ड्रॉफ्ट, बैंकर्स चैक या पोस्टल ऑर्डर के रूप में
हरियाणा सरकार	रू 50/–	ए–4 या ए–3 के कागज़ के लिए रु 10/– प्रति पेज	बड़े आकार के कागज़ के लिए वास्तविक मूल्य	मुद्रित रिपार्ट के लिए वास्तविक मूल्य या रु 10/– प्रति पेज	फ्लॉपी के लिए रु 50/– सी.डी.के लिए रु 100/–	सैम्पल या मॉडल के लिए वास्तविक मूल्य	पहला घंटा – निःशुल्क तत्पश्चात् हर 15 मिनट के लिए रु 10/–	नगद या ट्रेज़री चलान के रुप में

- सूचना के बताये जाने से अपराधों की तहकीकात में या अपराधियों को पकड़ने में बाधा पैदा होती है **या**
- कोई व्यक्तिगत सूचना जिसका संबंध किसी लोक हित से नहीं है।

लेकिन इन छूटों के दायरे में आने के बावजूद अगर सूचना देने में लोक हित ज़्यादा है और अन्य हितों को होने वाला नुकसान कम है तो ऐसी जानकारी दी जायेगी।

सूचना न मिलने पर क्या किया जाये?

- यदि लोक सूचना अधिकारी आपसे आवेदन पत्र लेने से इनकार करता है;
- यदि समय सीमा के अंदर सूचना नहीं मिलती है;
- यदि लोक सूचना अधिकारी नाजायज़ तरीके से अधिक शुल्क माँगता है;
- यदि लोक सूचना अधिकारी से 30 दिनों तक कोई जवाब नहीं मिलता है;
- यदि लोक सूचना अधिकारी नाजायज़ तरीके से सूचना देने से इनकार करता है;
- यदि लोक सूचना अधिकारी आपका आवेदन पत्र मिलने के बाद आपके द्वारा मांगी गयी सूचना से संबंधित दस्तावेज़ नष्ट कर देता है –

तो संबंधित विभाग में अपील करें।

हर लोक सूचना अधिकारी के ऊपर एक वरिष्ठ अधिकारी को **अपीलीय अधिकारी** नामित किया गया है। इन अधिकारियों की सूची व पते के लिये वेबसाइट देखें –

केन्द्र सरकार – **http://rti.gov.in/ministrynew**
राज्य सरकार – **http://rti.gov.in/state_haryanapio**

अपीलीय अधिकारी 30 दिनों में अपीलों पर निर्णय देने के लिये बाध्य हैं।

या सूचना आयोग में लिखित रूप से शिकायत करें।

केंद्र सरकार के दफ़्तरों के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग को अपनी शिकायत भेजें।

केंद्रीय सूचना आयोग
ब्लॉक नं. 4, पाँचवीं मंज़िल, पुराना जे.एन.यू. कैम्पस
नई दिल्ली – 110067 (ईमेलः pkgera@nic.in)
फोन/फैक्सः 011-2671 7354

राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के दफ़्तरों के बारे में शिकायत राज्य सूचना आयोग को भेजें।

हरियाणा सूचना आयोग
एस.सी.ओ. नं. 70 – 71, सेक्टर – 8सी
मध्य मार्ग, चंडीगढ़, फोन/फैक्सः 0172–2726568
ईमेलः madhavan@hry.nic.in

अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सूचना आयोग मामले की जांच के लिये संबंधित अधिकारियों को बुला सकता है व दस्तावेज़ों को मंगवा सकता है।

सूचना न देने के कारण को साबित करने की ज़िम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की है।

ऊपर बतायी गयी परिस्थियों में जांच के ज़रिये यदि लोक सूचना अधिकारी को दोषी पाया जाता है तो वह दंड का हकदार होगा। सूचना आयोग प्रति दिन 250/– रुपये के हिसाब से अधिकतम 25,000/– रुपये तक का जुर्माना लोक सूचना अधिकारी से वसूल कर सकता है। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी लगातार इस कानून का उल्लंघन करता हो तो सूचना आयोग उसके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये संबंधित विभाग को आदेश दे सकता है।

चुनौती – आपके लिये!

आज देश भर में, सैकडों नागरिक, सरकार से हिसाब माँगने लगे हैं। क्या आप इस जन अभियान से नहीं जुड़ेंगे?अपने जानने के हक का प्रयोग करें और अपने विकास की दिशा खुद तय करें।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशियेटिव
बी–117, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली –110017
फोन नं. : 011-26864678, 26850523
ई–मेलः chriall@nda.vsnl.net.in
वेबसाइटः www.humanrightsinitiative.org

प्रिया, राज्य संसाधन केंद्र
मकान नं–2329, दूसरी मंज़िल,
सेक्टर–35 सी, चंडीगढ़ – 160022, हरियाणा
फोन नं. : 0172–5017840
ईमेलः chandigarh@pria.org

प्रिया, मुख्य कार्यालय
42, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली – 110 062
फोन नं. : 011–29956908, 29960931,32,33
फैक्स : 011–29955183
ईमेलः pria@pria.org वेबसाइट : www.pria.org

(संरचना, संपादन एवं फॉर्मेटिंग: वेंकटेश नायक, सुश्री नवाज़ कोटवाल, सोहिनी पाल और रंजन कुमार सिंह, जून 2006)

सूचना का अधिकार

जीने का अधिकार

आप बनिये से हिसाब माँगते हैं...
दूधवाले से हिसाब माँगते हैं...

तो फिर

सरकार से हिसाब
क्यों नहीं माँगते हैं?

सूचना लेना – हमारा मौलिक अधिकार
सूचना देने के लिये – सरकार ज़िम्मेदार

क्या आप जानना चाहते हैं?

- आपको महीने में कितना राशन मिलना चाहिए या आपके राशन की दुकान पर हर महीना कितना राशन आता है?
- आपके गाँव में पक्की सडकें क्यों नहीं हैं या आपके गाँव की सड़क की मरम्मत के लिये कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ?
- आपके घर या कस्बे में बिजली की सुविधा कब उपलब्ध होगी?
- आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किस प्रकार की सुविधायें मिलनी चाहिए?
- आपके गाँव के स्कूल में शिक्षक क्यों नहीं आते हैं?
- आपके पास अगर रहने के लिए घर नहीं है तो सरकारी आवासीय योजना का कैसे लाभ उठायें?
- सरकारी वृद्धावस्था पेन्शन पाने की कानूनी प्रकिया क्या है?

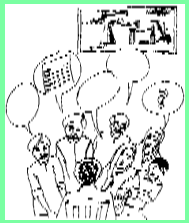

आपने कितनी बार इन सवालों के जवाब सरकारी दफ़्तरों से मांगने की कोशिश की?फिर भी बार–बार आप खाली हाथ लौट आये?

लेकिन अब परिस्थिति बदलेगी। सरकारी अधिकारियों को सही जवाब देना होगा। क्योंकि 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में सूचना का अधिकार कानून लागू हो गया है।

जो सूचना आपके विधायक या सांसद को मिल सकती है, वह सूचना आपको देने से सरकार इनकार नहीं कर सकती।

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत

- आप पंचायत से लेकर राष्ट्रपति महोदय के दफ़्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों से सूचना ले सकते हैं।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के हर दफ़्तर में सूचना देने के लिये **लोक सूचना अधिकारियों** को नामित किया गया है।
- हर **लोक सूचना अधिकारी** आपको सूचना देने के लिये बाध्य है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपके मत से सरकार चुनी जाती है। आपके द्वारा अदा किये गये टैक्स के पैसे से सरकारी कामकाज चलता है। बाज़ार से जब आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो कीमत के साथ टैक्स भी अदा करते हैं।

इस टैक्स के पैसे से सरकारी अधिकारियों को वेतन दिया जाता है। कल्याणकारी योजनायें चलायी जाती हैं।

तो जब सरकार आपकी और पैसा आपका तो हिसाब किसका?

अब आप –

- किसी भी सरकारी फाइल या दस्तावेज़ का निरीक्षण कर सकते हैं।
- किसी भी लोक निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं।
- किसी भी दस्तावेज़ की प्रमाणित कॉपी या उद्धरण ले सकते हैं।
- किसी भी सामग्री के प्रमाणित नमूने ले सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उपलब्ध जानकारी की प्रति ले सकते हैं।

सूचना कैसे मिलेगी?

निम्न प्रकार की सूचना सरकारी दफ़्तरों को स्वयं घोषित करनी होगी।

- दफ़्तर के सभी अधिकारी व कर्मचारियों के नाम, पदनाम, कर्तव्य, शक्तियाँ और वेतन।
- किसी भी विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और अपने कर्तव्यों के पालन के लिये स्थापित मापदंड।
- अपने कामकाज में इस्तेमाल किये जाने वाले नियम, विनियम, मार्गदर्शिका तथा आदेशों का ब्योरा।
- अपने दफ़्तर में उपलब्ध सभी दस्तावेज़ों के प्रवर्गों की सूची।
- सभी योजनाओं के लिये प्रस्तावित बजट, आवंटित धनराशि और तत्संबंधी रिपोर्ट।
- कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने का तरीका, लाभार्थियों की सूची तथा आवंटित धनराशि।
- अपने द्वारा दिये गये रियायतों व परमिटों को प्राप्त करने वालों की सूची।

यह सारी जानकारी हर **लोक सूचना अधिकारी** के पास कंप्यूटर पर या किताब के रूप में उपलब्ध होगी। आपके द्वारा मांगे जाने पर लोक सूचना अधिकारी को यह सूचना तुरंत प्रिंटाउट या फोटोकॉपी के माध्यम से देनी पड़ेगी। आवेदन पत्र या **आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। केवल रु 10/– प्रति पेज के हिसाब से शुल्क देना होगा।**

अन्य जानकारी लेने की प्रक्रिया

ऊपर बतायी गयी जानकारी के अलावा अन्य प्रकार की सूचनायें भी **लोक सूचना अधिकारी** से प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे – कोई भी अभिलेख, ज्ञापन, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, लॉगबुक, कॉंट्रॉक्ट, रिपोर्ट, नमूने, आंकड़े, मॉडल आदि।

- आवेदन पत्र लिखित रूप में आवेदन शुल्क के साथ संबंधित दफ़्तर के **लोक सूचना अधिकारी** के पास जमा करना होगा। आवेदन पत्र को डाक या ई–मेल के माध्यम से भी भेजा सकता है। (शुल्क की दरें पिछले पन्ने पर दी गयी हैं)
- नीचे बताये गये प्रस्तावित प्रारूप में आप सादे कागज पर भी आवेदन पत्र लिखकर जमा कर सकते हैं।

लोक सूचना अधिकारी के पास आपसे जानकारी माँगने का कारण पूछने का अधिकार नहीं है। कारण बताये बिना आप किसी भी प्रकार की सूचना माँग सकते हैं।

- आवेदन शुल्क के अलावा लोक सूचना अधिकारी द्वारा तय किया गया अतिरिक्त शुल्क आपको जमा करना होगा (दस्तावेजों की फोटोकॉपी या फ्लॉपी / सी.डी के लिये शुल्क की दरें पिछले पन्ने पर दी गयी हैं)।
- आवेदन पत्र जमा होने के 30 दिनों के अंदर लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिये बाध्य है।

अगर मांगी गयी जानकारी किसी व्यक्ति के जीवित रहने से या उसकी आज़ादी से संबंधित है तो 48 घंटों के अंदर देनी होगी।

फॉर्म 'A'

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

राज्य लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी

(विभाग / कार्यालय का नाम, पता जहां से सूचना मांगी जा रही है)

(अ) आवेदक का नाम .....

(ब) पता .....

(क) चाही गई जानकारी का विवरण .....

(i) चाही गई जानकारी की विषय–वस्तु.....

(ii) सूचना जिस कालावधि से संबंधित है – माह तथा वर्ष .....

(iii) जानकारी का ब्योरा .....

(iv) जानकारी कैसे प्राप्त करना चाहेंगें? स्वयं अथवा डाक द्वारा
(डाक शुल्क अतिरिक्त शुल्क के साथ संदेय होगा)

(v) अगर डाक द्वारा चाहते हैं तो किसी एक को चिह्नित करें
(सामान्य, रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट)

(ड) क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार के हैं.....
(अगर हैं तो सबूत संलग्न करें)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तिथि.....

- इसके अलावा आप आवेदन पत्र व आवेदन शुल्क देकर संबंधित दफ़्तर में दस्तावेज़ों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। (शुल्क की दरें पिछले पन्ने पर दिये गये हैं)।

परंतु लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से इनकार कर सकता है, अगर –

- ⇨ **माँगी गयी सूचना देने से देश की प्रभुता, अखंडता सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक व आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचता है या**
- ➔ किसी अपराध करने को प्रेरित करता है **या**
- ➔ जिसके प्रकटन से न्यायालय की निंदा होती है या जिसके खुलासे पर किसी न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है **या**
- ➔ जिसके खुलासे से किसी व्यक्ति की जान को खतरा पैदा होता है **या**